

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती पस्तुत लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	सुजापत पुग भागीद्व कोठखारी क्षेत्र कडाहर	205	1.6200	सुजापत पुग भागीद्व कोठ खारी क्षेत्र कडाहर	205	1.6200

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार

